उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं० – 563

आदेश – फलक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

थेयोदोरा तिर्की
बनाम
चन्दन सिंह

आदेश फलक तारीख............से...............तक। जिला – गुमला

वाद सं० :– **95 / 2022–23**

वाद का प्रकार :– म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)

01.12.2022	अपीलार्थी श्रीमती थेयोदोरा तिर्की पति – श्री थेयोफिल तिर्की साकिन–चाहा थाना– गुमला जिला – गुमला के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं० – 11 / 2020–21 में दिनांक – 03.03.2021 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन दाखिल किया गया है। उनके द्वारा उक्त रिवीजन वाद में चन्दन सिंह पिता–स्व0 भवानी प्रसाद सिंह साकिन–चाहा थाना–गुमला जिला–गुमला को उत्तरवादी बनाया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पक्ष में बिना जाने समझे एवं उनके कागजातों को बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के प्रतिकूल है। अतः अपील वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न अपीलीय न्यायालय को तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु वाद को Remand किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय एवं संबंधित अंचल अधिकारी को दें। **लेखापित एवं संशोधित** 01.12.22 उपायुक्त, गुमला 01.12.22 उपायुक्त, गुमला Digitally signed by SUSHANT GAURAV Date: 2022.12.15 16:51:00 +05:30 Location: 192.168.5.107

Scanned with OKEN Scanner